शासन संदर्भ
आवश्यक/आज ही

संख्या–2094 ई–2/तेरह–2013–01/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक 13 सितम्बर,2013

विषयः– वर्ष 2012–13 के लिये शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–जी 111/दस–185(1)/शीरा नीति/2012–13, दिनांक 27 दिसम्बर,2012, पत्र संख्या–जी 146/दस–185(1)/शीरा नीति/2012–13, दिनांक 18 मार्च,2013, पत्र संख्या–जी 19/दस–185(1)/शीरा नीति/2012–13, दिनांक 15 मई,2013 तथा पत्र संख्या–जी 23/दस–185(1)/शीरा नीति/2012–13, दिनांक 26 मई,2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2012–13 के लिये निम्नवत् शीरा नीति निर्धारित की जाती है:–

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 20 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वयं की आसवनी में उपभोग करती हैं। उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 20 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन/प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) शीरा वर्ष में प्रत्येक माह में चीनी मिल द्वारा विक्रय किये गये आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:9 रखा जाय तथा इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिये नहीं होगी, बल्कि पूरे माह के अंतर्गत की गयी सम्पूर्ण निकासी पर होगी।

(4) माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की उपरोक्तानुसार निकासी के अनुपात को बनाये रखने में असफल होती है, तो आगामी माह में उसके निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी चीनी मिल के लिये शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:4 का अनुपात बनाये रखना निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा:–

(i) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक माह के प्रारम्भ में टेण्डर आमंत्रित करेंगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार–प्रसार रखने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जायेगा।

(ii) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई ऑफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:9 के निकासी अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत की मात्रा स्वतः ही कम हो जायेगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गई मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्रीसेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी जिस पर 1:9 का अनुपात लागू नहीं होगा।

(iii) आगामी महीनों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (20 प्रतिशत) की गणना बिन्दु संख्या–(ii) के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा।

(5) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुये तदनुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी अन्यथा की दशा में आरक्षित शीरे के स्टाक को बनाये रखेंगी।

(6) शीरा वर्ष 2012–13 में अनुपात अनुरक्षण के अनुश्रवण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

(7) चीनी मिलों में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवरफ्लो हो कर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बश्चन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने के सम्बन्ध में शीरा नीति वर्ष 2011–12 में यह प्राविधान था कि अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के निमित्त चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को

प्रेषित किया जायेगा, जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति विचार कर अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी तथा समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2012–13 में भी यथावत् बनाये रखी जाती है।

(8) शीरा वर्ष 2011–12 की भांति वर्ष 2012–13 में सामान्यतया शीरा निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्वहित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक की सुविचारित संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति द्वारा संस्तुति किये जाने पर उस पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लिया जायेगा। शीरा निर्यात हेतु वरीयता उत्तराखण्ड राज्य को दी जायेगी। उसे शीरा रू0 15/– प्रति कुण्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क पर निर्यात किया जायेगा। उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 की भी आवश्यकता नहीं होगी। शीरा नीति वर्ष 2011–12 की भांति वर्ष 2012–13 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत बनाये रखी जाती है।

(9) शीरा नीति वर्ष 2011–12 की भांति वर्ष 2012–13 में भी अन्य राष्ट्रो से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने पर शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

(10) उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों को शीरा के आयात/निर्यात के सम्बंध में सुविचारित शर्तो के अधीन शासन स्तर से एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा सकता है।

(11) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2012–13 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0–15/– प्रति कुण्टल एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/– प्रति कुण्टल को यथावत् बनाये रखा जाता है।

(12) शीरा वर्ष 2012–13 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त (अन्तर इकाई हस्तान्तरण) कराना चाहती है, तो उसे शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) शीरा नीति 2011–12 की भॉति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविकीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फीसेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा यथास्थिति निर्णय लेते हुए शासन को सन्दर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था को शीरा वर्ष 2012–13 में भी यथावत बनाये रखा जाता है।

(14) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सिविल अपील सं0–4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2011–12 की भाँति इस शीरा वर्ष 2012–13 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

(15) विगत शीरा सत्र 2011–12 की भाँति प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू रहेगी तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायेगें।

(16) विगत शीरा नीति वर्ष 2011–12 में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नही होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

शीरा वर्ष 2012–13 में भी उपर्युक्त व्यवस्था इस प्रतिबन्ध के साथ लागू रहेगी कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नही होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।

(17) विगत शीरा वर्ष 2011–12 के प्राविधान की भाँति प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयाँ, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–7क के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में समय–समय पर शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किये जाने का प्राविधान शीरा नीति 2012–13 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

(18) शीरा नीति वर्ष 2012–13 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0(सी0) नं0–29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(19) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2011–12 में यह व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों में शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। दिनांक 12–3–2013 को अवस्थापना एवं औद्योगिक

विकास आयुक्त के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि शीरा निर्यात आदि के प्रकरणों में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को कोई समस्या आ रही हो और शीरा नीति अन्तर्गत किसी प्रकरण में विचलन चाहते हों, तो वह तथ्यों/औचित्य सहित सुविचारित प्रस्ताव शीरा विचलन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त के दृष्टिगत शीरा वर्ष 2012–13 की शीरा विचलन समिति निम्नवत् होगी:–

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	– अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि।	– सदस्य
3– प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि।	– सदस्य
4– प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि।	– सदस्य
5– प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग।	– सदस्य/संयोजक

चीनी मिलों मे प्राप्त आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति की जायेगी तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(20) यह शीरा नीति 2012–13 तब तक यथावत् प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2013–14 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0– 8758 / दस–शीरा / शीरा नीति / 2012–13 / इलाहाबादःदिनांकःसितम्बर, 14 2013

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–19182 / दस–शीरा / शीरा नीति / 2011–12 / दिनांक–20.12.2011 एवं आदेश सं0–8004 / दस–शीरा–98 / भाग–2 / उ0प्र0 शीरा परामर्श समिति / दिनांक–28.09.2012 के संदर्भ में, मैं अनिल गर्ग, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0–2094ई–2 / तेरह–2013–01 / 2013 दिनांक–13.09.2013 के अनुक्रम में शीरा वर्ष 2012–13 के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :–

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 20प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वंय की आसवनी में उपभोग करती हैं । उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति / यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 20प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी । यदि उनकी आसवनी द्वारा 20प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक)की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन / प्रतिपूर्ति के सम्बंध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

(3) शीरा वर्ष में प्रत्येक माह में चीनी मिल द्वारा विक्रय किये गये आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:9 रखा जाय तथा इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिए नही होगी, बल्कि पूरे माह के अंतर्गत की गयी सम्पूर्ण निकासी पर होगी।

(4) माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की उपरोक्तानुसार निकासी के अनुपात को बनाये रखने में असफल होती हैं तो आगामी माह में उसके निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी चीनी मिल के लिए शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:4 का अनुपात बनाये रखना निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अंतर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा :–

(i) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय / टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक माह के प्रारम्भ में टेण्डर

आमंत्रित करेंगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार–प्रसार रखने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक एवं सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जायेगा ।

(ii) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई ऑफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नही होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:9 के निकासी अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 20प्रतिशत की मात्रा स्वतः ही कम हो जायेगी । आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान कियेजाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी जिस पर 1:9 का अनुपात लागू नही होगा ।

(iii) आगामी महीनों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (20प्रतिशत) की गणना बिन्दु सं0–(ii) के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा ।

(5) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुए तदनुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी अन्यथा की दशा में आरक्षित शीरे के स्टाक को बनाये रखेंगी ।

(6) शीरा वर्ष 2012–13 में अनुपात अनुरक्षण के अनुश्रवण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

(7) चीनी मिलों में पैराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवरफ्लो हो कर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बश्चन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने के सम्बधं में शीरा नीति वर्ष 2011–12 में यह प्राविधान था कि अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के निमित्त चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके प्रस्ताव शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिसके सम्बंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा । उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2012–13 में भी यथावत् रहेगी ।

(8) शीरा वर्ष 2011–12 की भॉति वर्ष 2012–13 में सामान्यतया शीरा निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्व हित में उसके निर्यात के सम्बंध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से सुविचारित संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से दी जायेगी ।

शीरा निर्यात हेतु वरीयता उत्तराखण्ड राज्य को दी जायेगी । उत्तराखण्ड राज्य को शीरा रू0–15/– प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क पर निर्यात किया जायेगा। उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 की भी अवश्यकता नही होगी । शीरा नीति वर्ष 2011–12 की भॉति वर्ष 2012–13 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था थी, उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2012–13 में भी यथावत् रहेगी।

(9) शीरा नीति वर्ष 2011–12 की भॉति वर्ष 2012–13 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा अयात/निर्यात करने की अनुमति शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बंध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने पर शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी ।

(10) उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों से शीरा के आयात/निर्यात के सम्बंध में सुविचारित शर्तों के अधीन शासन स्तर से एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा सकता है ।

(11) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2012–13 में प्रदेश के अंदर खपत के लिए रू0–11/–प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0–15/– प्रति कुन्टल एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0–11/– प्रति कुन्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0–15/– प्रति कुन्टल यथावत् रहेगा।

(12) शीरा वर्ष 2012–13 मे चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जायेगी । यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि के उपयोग हेतु अवमुक्त (अन्तर इकाई हस्तान्तरण) कराना चाहती है तो उसे शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(13) शीरा नीति 2011–12 की भॉति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविकीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वंय के उपभोग अथवा फ्री सेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा यथास्थिति निर्णय लेते हुए शासन को संदर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के अधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था शीरा वर्ष 2012–13 में भी यथावत् लागू रहेगी।

(14) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की सम्भावना बनी रहती है । अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सिविल अपील सं0–4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2011–12 की भॉति शीरा वर्ष 2012–13 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा ।

(15) विगत शीरा सत्र 2011–12 की भॉति प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही

किये जाने की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायेंगे ।

(16) विगत शीरा नीति वर्ष 2011–12 में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नही होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी । इस सम्बंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

शीरा वर्ष 2012–13 में भी उपर्युक्त व्यवस्था इस प्रतिबन्ध के साथ लागू रहेगी कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नही होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी ।

(17) विगत शीरा वर्ष 2011–12 के प्राविधान की भॉति प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयॉ, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–7क के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में समय–समय पर शीरे की उपलब्धता/वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किये जाने का प्राविधान शीरा नीति 2012–13 में भी यथावत् लागू रहेगा ।

(18) शीरा नीति वर्ष 2012–13, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0 (सी) सं0–29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

(19) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2011–12 में यह व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा । दिनांक–12.03.2013 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि शीरा निर्यात आदि के प्रकरणों में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को कोई समस्या आ रही हो और शीरा नीति अंतर्गत किसी प्रकारण में विचलन चाहते हों, तो वह तथ्यों /औचित्य सहित, सुविचारित प्रस्ताव शीरा विचलन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त के दृष्टिगत शीरा वर्ष 2012–13 की शीरा विचलन समिति निम्नवत् होगी :–

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त – अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि – सदस्य
3– प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि – सदस्य
4– प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग– अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि सदस्य
5– प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग – सदस्य/संयोजक

चीनी मिलों सें प्राप्त आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बंधी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति की जायेगी तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

(20) शीरा नीति 2012–13 तब तक यथावत् प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2013–14 के लिए शीरा नीति की घोषणा नही कर दी जाती है ।

(अनिल गर्ग) 14/4
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0–8759-9159/दस–शीरा/शीरा नीति/2012–13/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग बापू भवन, लखनऊ ।
2– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त आयुक्त प्रभार उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार अनुपात की समीक्षा कर सूचना शीरा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध करायें ।
5– समस्त जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश ।
6– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय ।
7– समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
8– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लखनऊ ।
9– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
10– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0 लखनऊ ।
11– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आसवक संघ पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली ।
12– समस्त आसवनियॉ/इकाईयॉ, उत्तर प्रदेश ।

(अनिल गर्ग) 14/4
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।